Press Information Bureau, Patna
Govt. of India
***

Name of Newspaper:	**Aaj**	Language:	**Hindi**
Date:	**27.08.2021**	Place of Publication:	**Patna**

साढ़े तीन करोड़ कामगार ई-पोर्टल से जुड़ेंगे

पटना (आससे)। बिहार के साढ़े तीन करोड़ कामगारों को ई-पोर्टल से जोड़ा जाएगा। राज्य की आबादी में से 30 प्रतिशत जोड़ने के लक्ष्य पर श्रम संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। कामगारों का निबंधन 31 दिसंबर तक पूरा लिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहज वसुधा केंद्रों को दैनिक लक्ष्य दिया गया है। गुरुवार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल के शुरू होने पर श्रम संसाधन मंत्री जिबेश कुमार ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से मोदी सरकार का लक्ष्य 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-टपरी वालों और घरेलू कामगारों का निबंधन करना है। अभी बिहार में लगभग 18 लाख 34 हजार कामगार निबंधित हैं जिनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बिहार राज्य मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का भी संचालन किया जा रहा है, जिसको आरटीपीएस यानी लोक सेवाओं के अधिकार से जोड़ दिया गया है। इससे पीड़ित के परिजनों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ई- पोर्टल से बिहार राज्य से तीन करोड़ 50 लाख कामगारों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो राज्य की आबादी का 30 प्रतिशत है। इस लक्ष्य के पूरा होने से राज्य के सभी कामगार इससे जुड़ जाएंगे। मंत्री ने कहा कि आपदा, कृषि, पथ निर्माण, भवन निर्माण आदि विभागों में आधार आधारित पंजीकृत कामगारों का भी समायोजन इस ई-पोर्टल पर किया जायेगा। इससे संबंधित पत्र सभी जिलों को मुख्य सचिव स्तर से भेजा जा रहा है। सभी कार्य को कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा कराया जायेगा जो प्रत्येक पंचायत में कार्यरत है। श्रमिक जन्म तिथि, होम टाउन, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य आवश्यक डिटेल भरने के अलावा, अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते का डिटेल का उपयोग कर पंजीकरण कर सकते हैं। श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा।

Name of Newspaper:	**Parbhat Khabar**	Language:	**Hindi**
Date:	**27.08.2021**	Place of Publication:	**Patna**

इ-श्रम पोर्टल शुरू, रजिस्ट्रेशन कराने पर दो लाख का बीमा

एजेंसियां/ब्यूरो ▷ नयी दिल्ली

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को औपचारिक रूप से इ-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया और इसे राज्यों को सुपुर्द किया. उन्होंने कहा कि इसके जरिये सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करना है. इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पंजीकरण करानेवाले सभी असंगठित कामगारों के लिए सरकार ने दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा को मंजूरी दी है. अगर किसी हादसे में कामगार की मौत होती है, तो दो लाख रुपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत के साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं.

Name of Newspaper:	**Dainik Jagran**	Language:	**Hindi**
Date:	**27.08.2021**	Place of Publication:	**Patna**

असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का पंजीयन शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रवासी व असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का पंजीयन गुरुवार से शुरू हो गया। इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल लांच कर दिया है। पंजीयन कराने के लिए श्रमिकों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर देना होगा। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त होगा और श्रमिक कामन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। घर में काम करने वालों से लेकर 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था से जुड़े श्रमिक भी इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन कराने वालों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। एक मोबाइल नंबर से चार श्रमिकों का पंजीयन हो सकेगा। फिलहाल ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ दिया जाएगा, जो एक साल के लिए मान्य होगा। एक बार पंजीकृत होने वाले श्रमिकों के पास हर साल मैसेज आएगा और उसे यस करने पर उनका पंजीयन अपडेट होता रहेगा। श्रमिकों की मदद के लिए टोल फ्री काल सेंटर भी गुरुवार से शुरू कर दिया गया।

Name of Newspaper:	**Dainik Bhashakar**	Language:	**Hindi**
Date:	**27.08.2021**	Place of Publication:	**Patna**

राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल लांच

राज्य के 3.50 करोड़ कामगारों का निबंधन 31 दिसंबर तक होगा

पटना|श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के लगभग 3.50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन का लक्ष्य है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल शुभारंभ करने पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया। पूरे देश में 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों का इस पोर्टल पर निबंधन करा कर इनके हित में योजनाएं शुरू की जाएंगी। आधार कार्ड की तरह ही असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कार्ड बनेगा। पोर्टल पर प्रवासी मजदूर, निर्माण मजूदर, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर सहित विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित मजदूर इसमें निबंधित होंगे।

Name of Newspaper: **Sanmarg** Language: **Hindi**
Date: **27.08.2021** Place of Publication: **Patna**

सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन 31 दिसंबर तक : जीवेश

पटना/का.सं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल के शुभारम्भ किये जाने पर श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया। मंत्री ने बताया कि आज केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक और बेहतर पहल की है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरूवार को देश भर के लगभग 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इस जिसका उद्देश्य देश के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचना है। इसके तहत देश भर के असंगठित श्रमिक जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते है उनका पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर इनके कार्य के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिससे इनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की जा सके। साथ ही निबंधित श्रमिकों को 2 लाख रुपये का बीमा भी किया जायेगो जिससे उनके आश्रितों को उनके नहीं रहें पर तात्कालिक आर्थिक सहायता दी जा सके। मंत्री ने कहा कि पोर्टल के शुभारंभ के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। यानि आज से पंजीकरण कर सकते हैं। श्रमिक जन्म तिथि, होम टाउन, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य आवश्यक डिटेल भरने के अलावा, अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते का डिटेल का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन कर सकतें हैं।श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा।

Name of Newspaper:	**Hindustan**	Language:	**Hindi**
Date:	**27.08.2021**	Place of Publication:	**Patna**

देशभर में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन शुरू हुआ

नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

श्रम मंत्रालय ने गुरुवार से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए खास तौर पर बनाए गए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत कर दी। इस पर देश भर में पंजीयन भी शुरू हो गया है। सरकार के मुताबिक इस पोर्टल से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। सरकार का आकलन है कि पोर्टल पर करीब 38 करोड़ मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए अंतिम पायदान तक मौजूद करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा सिस्टम बना है जिससे मजदूरों से सीधा जुड़ेगा। भूपेंद्र यादव ने इस मौके पर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले इंश्योरेंस को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

ऐसे होगा पंजीयन

रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को अपने बैंक की जानकारी के साथ मोबाइल नंबर समेत दूसरी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। इस ऑनलाइन फॉर्म को आगे अपडेट भी किया जा सकेगा। व्यक्ति या तो खुद अपना पंजीकरण करा सकता है या फिर इसके लिए देशभर में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ले सकता है। पंजीकरण के बाद व्यक्ति का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा।

Name of Newspaper:	**RashtriyaSahara**	Language:	**Hindi**
Date:	**27.08.2021**	Place of Publication:	**Patna**

असंगठित क्षेत्र कामगारों का निबंधन 31 दिसम्बर तक होगा पूरा : जिवेश

पटना (एसएनबी)। राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन 31 दिसम्बर तक पूरा किया जायेगा। श्रम संसाधन विभाग मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सभी स्तरों निरंतर क्रियाशील है और श्रमिक नियमावली में उनके अनुकूल आवश्यक संशोधन के लिए हेतु भी तैयार है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।

मंत्री ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आज केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक और बेहतर पहल की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश भर के लगभग 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया है जिसका उद्देश्य देश के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचना है।

असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया जाना सराहनीय

देश भर के असंगठित श्रमिक जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनका पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर इनके कार्य के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। साथ ही, निबंधित श्रमिकों का दो लाख रुपये का बीमा भी किया जायेगा, जिससे उनके आश्रितों को उनके नहीं रहने पर तात्कालिक आर्थिक सहायता दी जा सके।

मंत्री ने ई -श्रम पोर्टल के बारे में बताते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। यानि आज से पंजीकरण कर सकते हैं।